कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल म.प्र.

Email: mpbse@mp.nic.in Website: www.mpbse.nic.in

कार्यालयः– (0755) 2551166
फैक्सः– (0755) 2551499,2552061

क्रमांक / गोपनीय / 447 / 2014 / विद्योपित

भोपाल दिनांक 19/5/2014

प्रति,

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग................
मध्यप्रदेश।

विषयः–मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु प्राश्निक/अनुसीमको के चयन मापदण्ड तथा दिशा निर्देशों के अनुसार प्राश्निक/अनुसीमकों की सूची उपलब्ध कराने बावत्।

– –XX– –

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वी, 12वी, एवं हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक पाठयक्रम, डिप्लोमा इन एज्यूकेशन (प्रथम एवं द्वितिय वर्ष), पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि (द्विवर्षिय पाठयक्रम) डिप्लोमा कोर्स इन फिजिकल एज्युकेशन (द्विवर्षिय पाठयक्रम) के प्रश्नपत्रों के निमार्ण से पूर्व मण्डल द्वारा कार्य में संलग्न किये जाने वाले शिक्षकों को संभागीय मुख्यालयों पर कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। गतवर्षो में योग्य शिक्षकों के नाम पर्याप्त संख्या में मण्डल को उपलब्ध न होने के कारण कार्य की प्राथमिकता के अनुकूल प्रश्नपत्रों के निमार्ण एवं अनुसीमन कार्य में उच्चस्तरीय शिक्षकों की कमी परिलक्षित होती रही है।

अतः आगामी वर्ष के लिये शिक्षकों के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिलों के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुये निम्नानुसार सूची उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें :–

1) प्रत्येक परीक्षा के लिये सेटर माडरेटर हेतु शिक्षकों का चयन करते हुये संभाग स्तर से 15 शिक्षकों के नाम इस प्रकार तैयार किये जावें जिसमें संभाग के समस्त जिले का प्रतिनिधित्व हो।
2) कार्य की महत्ता एवं सुचिता को ध्यान में रखते हुये अधिकतम शिक्षकों का पंजीयन ऑन लाईन कराया जावे! शिक्षकों के नामों का प्रस्ताव वरिष्ठता के क्रम में अनुभव के आधार पर विषयवार परीक्षावार पृथक–पृथक से 25–25 शिक्षकों का पैनल तैयार कर सूची मण्डल को उपलब्ध कराई जावे।
3) संभाग के अन्तर्गत सभी जिलों के शिक्षकों के नाम जिनका आपके द्वारा चयन न किया गया हो उनके नामों की सूची भी मण्डल को उपलब्ध कराई जावे।
4) जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि उनके जिलों के अन्तर्गत ऐसे वरिष्ठतम योग्य शिक्षक जो गोपनीय कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, के नामों का प्रस्ताव अग्रेषित करते हुये सूची संयुक्त सचालकों को उपलब्ध कराते हुये इनका ऑन लाईन पंजीयन एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से दिनांक 20/06/2014 तक जिला स्तर पर कराया जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर निर्धारित मापदण्डों के आर्हताधारी शिक्षकों के नामों की जानकारी मण्डल मुख्यालय को 15 जून 2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही समस्त शिक्षकों को मण्डल द्वारा प्रशिक्षण में बुलाये जाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अनिवार्यता से भी संबंधितों को अवगत कराया जावे।

संलग्न :–प्राश्निक अनुसीमन के मापदण्ड परीक्षावार वरिष्ठताक्रम में शिक्षकों के नाम उपलब्ध कराने का प्रपत्र कमशः 01 से 07 तक

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म.प्र.भोपाल

पृष्ठा.क्र./गोपनीय/448 /2014/विद्योपित

भोपाल, दिनांक 19/5/2014

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन भोपाल।
2. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल।
3. आंचलिक अधिकारी, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संभाग मुख्यालय ....म.प्र.

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म.प्र.भोपाल

कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल म.प्र.

Email: mpbse@mp.nic.in Website: www.mpbse.nic.in

कार्यालयः– (0755) 2551166

फैक्सः– (0755) 2551499,2552061

प्राश्निक/अनुसीमन हेतु मापदण्ड निम्नानुसार है जिन्हें संलग्न प्रोफार्मा में परीक्षण कर भरकर भिजवायें।

(अ) कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिये :–

शिक्षक का पद – अध्यापक, उच्च श्रेणी शिक्षक एंव व्याख्याता

शैक्षणिक योग्यता– स्नातक

अध्यापन अनुभव – प्राश्निक (सेटर) के लिये – 10 वर्ष
अनुसीमक (मॉडरेटर) के लिये – 15 वर्ष

(ब) कक्षा 11वीं एंव 12 वीं के लियः–

शिक्षक का पद – व्याख्याता एंव हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य

शैक्षणिक योग्यता – अध्ययन/अध्यापन के विषय में स्नातकोत्तर

अध्यापन अनुभव – प्राश्निक (सेंटर) के लिये – 10 वर्ष
अनुसीमक (माडरेटर) के लिये – 15 वर्ष

(स) हायर सेकेण्डरी, व्यावसायिक परीक्षा के लियेः–

शिक्षक का पद – विषय से संबंधित ट्रेड में व्याख्याता, विषय के ट्रेड में पोलिटेक्नीक, एंव इंज़ीनियरिंग कालेज के डिप्लोमा/डिग्री धारक

शैक्षणिक योग्यता – विषय से संबंधित ट्रेड में व्याख्याता, विाय के ट्रेड में पोलिटेक्नीक, एवं इंजीनियरिंग कालेज में डिप्लोमा/डिग्री धारक

अध्यापन अनुभव – प्राश्निक (सेटर) के लिये 10 वर्ष
अनुसीमक (माडरेट) के लिये 15 वर्ष

(द) डी.एड. परीक्षा के लिये :–

शिक्षक का पद – डाईट में वरिष्ठ व्याख्याता, व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक

शैक्षणिक योग्यता– अध्ययन/अध्यापन के विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.एम.एड

अध्यापन अनुभव – प्राश्निक (सेटर) के लिये – 10 वर्ष
अनुसीमक (मॉडरेटर) के लिये – 15 वर्ष

(इ) पूर्व प्राथमिक प्रमाण पत्र–परीक्षा के लिये :–

शिक्षक का पद – डाईट में व्याख्याता

शैक्षणिक योग्यता– अध्ययन/अध्यापन के विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.एम.एड

अध्यापन अनुभव – प्राश्निक (सेटर) के लिये – 10 वर्ष
अनुसीमक (मॉडरेटर) के लिये – 15 वर्ष

(ई) शारीरिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा के लिये :–

शिक्षक का पद – प्रशिक्षण संस्थान, शिवपुरी में व्याख्याता

शैक्षणिक योग्यता– लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर, आवासीय खेल–कुद विद्यालय, सीहोर में कार्यरत, बी.पी.एड योग्यताधारी शिक्षक/प्रदेश में स्कूल शिक्षा दिभा में कार्यरत बी.पी.एड योग्यताधारी पी.टी.आई.

अध्यापन अनुभव – प्राश्निक (सेटर) के लिये – 10 वर्ष
अनुसीमक (मॉडरेटर) के लिये – 15 वर्ष

निरंतर.....2

- प्राश्निक अनुसीमन प्रशिक्षण हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य है।
- अशासकीय संस्थाओं के व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक किसी अशासकीय संस्था से एक ही विषय में पढ़ाने का निरन्तर 5 वर्ष का अनुभव एवं किसी दूसरी अशासकीय संस्था में भी 5 वर्ष या उससे अधिक का पढ़ाने का अनुभव कुल 10 वर्ष से 15 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव होना अनिवार्य हैं।
- अशासकीय संस्थाओं के प्राश्निक/अनुसीमकों के अध्यापन अनुभव का संबंधित संस्था प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य रहेगा।
- शिक्षकों की विभागीय जांच स्कूल शिक्षा विभाग में प्रचलित न हो।
- प्राश्निक/अनुसीमक के प्रशिक्ष्चण के लिये भेजे जाने वाले ऐसे शिक्षकों के नाम जो उस विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित भी हो।
- प्राश्निक/अनुसीमक के लिये ऐसे शिक्षकों का भी चयन किया जाय, जो स्कूल शिक्षा विभाग में अपने विषय का मास्टर ट्रेनर का कार्य भी संपादित कर रहे हो।
- समस्त भाषाओं के लिये उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता एवं प्राचार्य को चयनित करते समय उनके अनुभव में कक्षावार अलग–अलग (सामान्य/विशिष्ट) का अध्यापन अनुभव भी अनिवार्य रूप से देखा जाये।
- गौढ़ भाषाओं की उपलब्धता माध्यमिक शिक्षा मण्डल से सम्बद्ध स्कूललों में सीमित होने के कारण सी.बी.एस.ई. संचालित स्कूलों एवं विश्वविद्यालय से भी नामों का चयन किया जाना प्रस्तावित है।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिये पोलीटेक्निक एवं पंडित सुन्दरलाल शर्मा, व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, आई.टी.आई से व्यावसायिक शिक्षकों की सूची प्राप्त की जाना।

उपरोक्त सेटर माडरेटर के मापदण्ड के अनुसार विषयवार सूची भेजना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म.प्र.भोपाल

<u>प्रपत्र–1</u>

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग .... म.प्र.

जावक क्रमांक/ /परीक्षा/ दिनांक / /2014

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला ....
म.प्र.

परीक्षा का नाम :– कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विषयों हेतु

विषय :– ....

//प्राश्निक/अनुसीमक शिक्षकों की विषयवार सूची//

क्र.	व्याख्याता का नाम व पद	दूरभाष/मोबाईल	योग्यता	पदस्थ शाला का नाम	अध्यापन का विषय	अध्यापन अनुभव (वर्षो में)	बैंक खाता नम्बर, ब्रांच, आई.एफ.एस.सी. कोड नं.	पूर्व में प्राश्निक प्रशिक्षण प्राप्त किया हॉ/नहीं

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग ....
मध्यप्रदेश

निरंतर 2

सामान्य निर्देश :–

1. मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक विषय हेतु न्युनतम 05–05 शिक्षकों के नाम दिये जाना अनिवार्य है।
2. भाषा विषयों के लिये सामान्य एवं विशिष्टि हेतु प थक–प थक नाम दिये जावें।
3. अनिवार्य विषयों के लिये समस्त समूह हेतु एक ही नाम प्रस्तावित न किया जावे।
4. गौड़ भाषा विषयों के लिये शैक्षणित योग्यता होने पर अध्यापन अनुभव न होने पर भी शिक्षकों के नाम दिये जावें।
5. इस प्रशिक्षण में ऐसे शिक्षक प्रतिबंधित रहेंगे जिनके पुत्र, पुत्री व सगे भाई–बहन परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो।
6. उन शिक्षकों को भी शामिल नही किया जावे जिन्हें मण्डल से डिबार किया हो।
7. ऐसे शिक्षक जो प्रश्न–पत्र व आदर्श उत्तर भाषा विषयों को छोड़कर हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में संपादित न कर सकते हो, ऐसे शिक्षको के नाम प्रस्तावित न किये जावे, क्योंकि दोनो भाषाओं का ज्ञान अति आवश्यक है।

प्रपत्र–2

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग .... म.प्र.

जावक क्रमांक / /परीक्षा/ दिनांक / /2014

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला ....
म.प्र.

परीक्षा का नाम :– कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विषयों हेतु

विषय :– ....

//प्राश्निक/अनुसीमक शिक्षकों की विषयवार सूची//

क्र.	व्याख्याता का नाम व पद	दूरभाष/मोबाईल	योग्यता	पदस्थ शालाा का नाम	अध्यापन का विषय	अध्यापन अनुभव (वर्षो में)	बैंक खाता नम्बर, ब्रांच, आई.एफ.एस. सी. कोड नं.	पूर्व में प्राश्निक प्रशिक्षण प्राप्त किया हॉ/नहीं

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग ....
मध्यप्रदेश

निरंतर 2

सामान्य निर्देश :—

1. मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक विषय हेतु न्युनतम 05—05 शिक्षकों के नाम दिये जाना अनिवार्य है।
2. भाषा विषयों के लिये सामान्य एवं विशिष्टि हेतु प थक—प थक नाम दिये जावें।
3. अनिवार्य विषयों के लिये समस्त समूह हेतु एक ही नाम प्रस्तावित न किया जावे।
4. गौड़ भाषा विषयों के लिये शैक्षणित योग्यता होने पर अध्यापन अनुभव न होने पर भी शिक्षकों के नाम दिये जावें।
5. इस प्रशिक्षण में ऐसे शिक्षक प्रतिबंधित रहेंगे जिनके पुत्र, पुत्री व सगे भाई—बहन परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो।
6. उन शिक्षकों को भी शामिल नही किया जावे जिन्हें मण्डल से डिबार किया हो।
7. ऐसे शिक्षक जो प्रश्न—पत्र व आदर्श उत्तर भाषा विषयों को छोड़कर हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में संपादित न कर सकते हो, ऐसे शिक्षको के नाम प्रस्तावित न किये जावे, क्योंकि दोनो भाषाओं का ज्ञान अति आवश्यक है।

प्रपत्र–3

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग .... म.प्र.

जावक क्रमांक/ /परीक्षा/ दिनांक / /2014

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला ....

म.प्र.

परीक्षा का नाम :– कक्षा 12वीं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु।

विषय :– ....

//प्राश्निक/अनुसीमक शिक्षकों की विषयवार सूची//

क्र.	व्याख्याता का नाम व पद	दूरभाष/मोबाईल	योग्यता	पदस्थ शालाा का नाम	अध्यापन का विषय	अध्यापन अनुभव (वर्षो में)	बैंक खाता नम्बर, ब्रांच, आई.एफ.एस. सी. कोड नं.	पूर्व में प्राश्निक प्रशिक्षण प्राप्त किया हॉ/नहीं

संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण संभाग ....

मध्यप्रदेश

निरंतर 2

सामान्य निर्देश :-

1. मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक विषय हेतु न्युनतम 05–05 शिक्षकों के नाम दिये जाना अनिवार्य है।
2. भाषा विषयों के लिये सामान्य एवं विशिष्टि हेतु प थक–प थक नाम दिये जावें।
3. अनिवार्य विषयों के लिये समस्त समूह हेतु एक ही नाम प्रस्तावित न किया जावे।
4. गौड़ भाषा विषयों के लिये शैक्षणित योग्यता होने पर अध्यापन अनुभव न होने पर भी शिक्षकों के नाम दिये जावें।
5. इस प्रशिक्षण में ऐसे शिक्षक प्रतिबंधित रहेंगे जिनके पुत्र, पुत्री व सगे भाई–बहन परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो।
6. उन शिक्षकों को भी शामिल नही किया जावे जिन्हें मण्डल से डिबार किया हो।
7. ऐसे शिक्षक जो प्रश्न–पत्र व आदर्श उत्तर भाषा विषयों को छोड़कर हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में संपादित न कर सकते हो, ऐसे शिक्षको के नाम प्रस्तावित न किये जावे, क्योंकि दोनो भाषाओं का ज्ञान अति आवश्यक है।

प्रपत्र–4

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग .... म.प्र.

जावक क्रमांक / /परीक्षा/ दिनांक / /2014

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला ....

म.प्र.

परीक्षा का नाम :– डिप्लोमा इन एज्युकेशन परीक्षा (प्रथम/द्वितीय वर्ष) के विषयों हेतु

विषय :– ....

//प्राश्निक/अनुसीमक शिक्षकों की विषयवार सूची//

क्र.	व्याख्याता का नाम व पद	दूरभाष/मोबाईल	योग्यता	पदस्थ शालाा का नाम	अध्यापन का विषय	अध्यापन अनुभव (वर्षो में)	बैंक खाता नम्बर, ब्रांच, आई.एफ.एस.सी. कोड नं.	पूर्व में प्राश्निक प्रशिक्षण प्राप्त किया हॉ/नहीं

संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण संभाग ....

मध्यप्रदेश

निरंतर 2

सामान्य निर्देश :–

1. मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक विषय हेतु न्युनतम 05–05 शिक्षकों के नाम दिये जाना अनिवार्य है।
2. भाषा विषयों के लिये सामान्य एवं विशिष्टि हेतु प थक–प थक नाम दिये जावें।
3. अनिवार्य विषयों के लिये समस्त समूह हेतु एक ही नाम प्रस्तावित न किया जावे।
4. गौड़ भाषा विषयों के लिये शैक्षणित योग्यता होने पर अध्यापन अनुभव न होने पर भी शिक्षकों के नाम दिये जावें।
5. इस प्रशिक्षण में ऐसे शिक्षक प्रतिबंधित रहेंगे जिनके पुत्र, पुत्री व सगे भाई–बहन परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो।
6. उन शिक्षकों को भी शामिल नही किया जावे जिन्हें मण्डल से डिबार किया हो।
7. ऐसे शिक्षक जो प्रश्न–पत्र व आदर्श उत्तर भाषा विषयों को छोड़कर हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में संपादित न कर सकते हो, ऐसे शिक्षको के नाम प्रस्तावित न किये जावे, क्योंकि दोनो भाषाओं का ज्ञान अति आवश्यक है।

प्रपत्र–5

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग .... म.प्र.

जावक क्रमांक / /परीक्षा/ दिनांक / /2014

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला ....

म.प्र.

परीक्षा का नाम :– पूर्व प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा के विषयों हेतु

विषय :– ....

//प्राश्निक/अनुसीमक शिक्षकों की विषयवार सूची//

क्र.	व्याख्याता का नाम व पद	दूरभाष/मोबाईल	योग्यता	पदस्थ शालाा का नाम	अध्यापन का विषय	अध्यापन अनुभव (वर्षो में)	बैंक खाता नम्बर, ब्रांच, आई.एफ.एस. सी. कोड नं.	पूर्व में प्राश्निक प्रशिक्षण प्राप्त किया हॉ/नहीं

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग ....
मध्यप्रदेश

निरंतर 2

सामान्य निर्देश :-

1. मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक विषय हेतु न्युनतम 05-05 शिक्षकों के नाम दिये जाना अनिवार्य है।
2. भाषा विषयों के लिये सामान्य एवं विशिष्टि हेतु प थक-प थक नाम दिये जावें।
3. अनिवार्य विषयों के लिये समस्त समूह हेतु एक ही नाम प्रस्तावित न किया जावे।
4. गौड़ भाषा विषयों के लिये शैक्षणित योग्यता होने पर अध्यापन अनुभव न होने पर भी शिक्षकों के नाम दिये जावें।
5. इस प्रशिक्षण में ऐसे शिक्षक प्रतिबंधित रहेंगे जिनके पुत्र, पुत्री व सगे भाई-बहन परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो।
6. उन शिक्षकों को भी शामिल नही किया जावे जिन्हें मण्डल से डिबार किया हो।
7. ऐसे शिक्षक जो प्रश्न-पत्र व आदर्श उत्तर भाषा विषयों को छोड़कर हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में संपादित न कर सकते हो, ऐसे शिक्षको के नाम प्रस्तावित न किये जावे, क्योंकि दोनो भाषाओं का ज्ञान अति आवश्यक है।

प्रपत्र–6

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग .... म.प्र.

जावक क्रमांक / /परीक्षा/ दिनांक / /2014

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला ....

म.प्र.

परीक्षा का नाम :– डिप्लोमा कोर्स इन फिजिकल एज्युकेशन (द्विवर्षिय पाठयक्रम) के विषयों हेतु।

विषय :– ....

//प्राश्निक/अनुसीमक शिक्षकों की विषयवार सूची//

क्र.	व्याख्याता का नाम व पद	दूरभाष/मोबाईल	योग्यता	पदस्थ शालाा का नाम	अध्यापन का विषय	अध्यापन अनुभव (वर्षो में)	बैंक खाता नम्बर, ब्रांच, आई.एफ.एस.सी. कोड नं.	पूर्व में प्राश्निक प्रशिक्षण प्राप्त किया हॉ/नहीं

संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण संभाग ....

मध्यप्रदेश

निरंतर 2

सामान्य निर्देश :–

1. मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक विषय हेतु न्युनतम 05–05 शिक्षकों के नाम दिये जाना अनिवार्य है।
2. भाषा विषयों के लिये सामान्य एवं विशिष्टि हेतु प थक–प थक नाम दिये जावें।
3. अनिवार्य विषयों के लिये समस्त समूह हेतु एक ही नाम प्रस्तावित न किया जावे।
4. गौड़ भाषा विषयों के लिये शैक्षणित योग्यता होने पर अध्यापन अनुभव न होने पर भी शिक्षकों के नाम दिये जावें।
5. इस प्रशिक्षण में ऐसे शिक्षक प्रतिबंधित रहेंगे जिनके पुत्र, पुत्री व सगे भाई–बहन परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो।
6. उन शिक्षकों को भी शामिल नही किया जावे जिन्हें मण्डल से डिबार किया हो।
7. ऐसे शिक्षक जो प्रश्न–पत्र व आदर्श उत्तर भाषा विषयों को छोड़कर हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में संपादित न कर सकते हो, ऐसे शिक्षको के नाम प्रस्तावित न किये जावे, क्योंकि दोनो भाषाओं का ज्ञान अति आवश्यक है।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग .... म.प्र.

जावक क्रमांक/ /परीक्षा/ दिनांक / /2014

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला ....
म.प्र.

परीक्षा का नाम :– शारीरिक प्रशिक्षण एवं पत्रोपाधि प्रमाण पत्र परीक्षा के विषयों हेतु।

विषय :– ....

//प्राश्निक/अनुसीमक शिक्षकों की विषयवार सूची//

क्र.	व्याख्याता का नाम व पद	दूरभाष/मोबाईल	योग्यता	पदस्थ शालाा का नाम	अध्यापन का विषय	अध्यापन अनुभव (वर्षो में)	बैंक खाता नम्बर, ब्रांच, आई.एफ.एस.सी. कोड नं.	पूर्व में प्राश्निक प्रशिक्षण प्राप्त किया हॉ/नहीं

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग ....
मध्यप्रदेश

निरंतर 2

सामान्य निर्देश :–

1. मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक विषय हेतु न्युनतम 05–05 शिक्षकों के नाम दिये जाना अनिवार्य है।
2. भाषा विषयों के लिये सामान्य एवं विशिष्टि हेतु प थक–प थक नाम दिये जावें।
3. अनिवार्य विषयों के लिये समस्त समूह हेतु एक ही नाम प्रस्तावित न किया जावे।
4. गौड़ भाषा विषयों के लिये शैक्षणित योग्यता होने पर अध्यापन अनुभव न होने पर भी शिक्षकों के नाम दिये जावें।
5. इस प्रशिक्षण में ऐसे शिक्षक प्रतिबंधित रहेंगे जिनके पुत्र, पुत्री व सगे भाई–बहन परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो।
6. उन शिक्षकों को भी शामिल नही किया जावे जिन्हें मण्डल से डिबार किया हो।
7. ऐसे शिक्षक जो प्रश्न–पत्र व आदर्श उत्तर भाषा विषयों को छोड़कर हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में संपादित न कर सकते हो, ऐसे शिक्षको के नाम प्रस्तावित न किये जावे, क्योंकि दोनो भाषाओं का ज्ञान अति आवश्यक है।